2022/261

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है।

प्रार्थी संजय कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति अरोड़ा निवासी मकान नम्बर 23 जी ब्लॉक, श्री गंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल रसीद, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता श्रीमति मीरां देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति अरोड़ा निवासी मकान नम्बर 23 जी ब्लॉक, श्री गंगानगर द्वारा दिनांक 27.11.2015 को एक बंद वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 05.03.2019 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 27.11.2015 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान हरप्रीत सिंह वालिया पुत्र श्री पृथ्वी सिंह एवं अशोक सेठी पुत्र श्री ओंकारनाथ सेठी ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।
पत्रावली अवलोकनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

26/7/22

जिला पंजीयक महोदय